उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्याः-2714/नौ-4-17-65डब्ल्यू/2017
लखनऊः दिनांक-24 अक्टूबर, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी सेवा के श्री मंजूर अहमद खॉ, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दातागंज को रिट याचिका सख्या-18201/17 मंजूर अहमद खॉ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.08.17 के अनुपालन में उनके प्रत्यावेदन दिनांक-21.08.17 पर विचार करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28.07.17 द्वारा श्री खॉ को नगर पालिका परिषद, दातागंज (बदायूँ) से नगर पालिका परिषद, भिनगा (श्रावस्ती) में किये गये स्थानान्तरण आदेश को व्यावर्तित करते हुए उन्हें नगर पालिका परिषद, मिलक (रामपुर) में रिक्त अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें। स्थानान्तरित अधिकारी को उनके वर्तमान पद के कार्यभार से बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये इस आदेश के प्राप्त होते ही तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित कर दिया जाए। कार्यभार से अवमुक्त करने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। आदेशों की अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, जिसके लिए संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-2714 (1)/नौ-4-17-65डब्ल्यू/17 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- जिलाधिकारी, बदायूँ/श्रावस्ती/रामपुर।
3- सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

Raj Ua 2015 387